न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **105 / 2020**

प्रार्थीगण :–

1. बीजाराम पुत्र बुदराराम जाति मेगवाल, निवासी बुडीवाडा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पूनमाराम पुत्र बुदराराम
2. पोकरराम पुत्र बुदराराम
3. रणछाराम पुत्र बुदराराम,
4. धापुदेवी पत्नी बागाराम,
5. कानाराम पुत्र बागाराम
6. आम्बाराम पुत्र बागाराम
7. ओमाराम पुत्र बागाराम
8. ईशराराम पुत्र बुदराराम
9. दुदाराम पुत्र [illegible] जातियान मेगवाल, निवासीयान बुडीवाडा, तहसील पच[illegible]
10. राजस्थान स[illegible] जरिये [illegible] पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, [illegible] राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती [illegible]

अधिवक्तागण :– 1.श्री करणसिंह सोलंकी प्रार्थी वकील
2.श्री सोहनलाल बारूपाल विप्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 02.09.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:32:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य है कि सरहद मौजा ग्राम बुडीवाडा तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 252 के बट्टा नम्बर क्रमशः 890 / 252, 1204 / 252, 1205 / 252, 1206 / 252, 1207 / 252, 1208 / 252, 1209 / 252 के राजस्व रेकर्ड नक्शे में संलग्न जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर जाहिर किया कि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 09 के मूल खसरा संख्या 252 के विभाजन से बने खसरान के रेकर्डेड खातेदार होने से एवं विप्रार्थीगण संख्या 10 भूमिधारी व आवश्यक पक्षकार होने से इन्हे पक्षकार विप्रार्थीगण दर्ज कर यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित आराजी मूल संख्या 252 के विभाजन से बने खसरान की है, प्रार्थी खसरा संख्या 1209 / 252 का अभिलिखित खातेदार है। खसरा संख्या 252 की खातेदार भूमि प्रार्थी व विप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि रही है, जो विभाजित हो जाने से उक्त खसरे के बट्टा नंबर क्रमशः 890 / 252, 1204 / 252, 1205 / 252, 1206 / 252, 1207 / 252, 1208 / 252, 1209 / 252 कायम हुए, जिस पर प्रार्थी व विप्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है व इसी अनुसार फसले ले रहे है। मूल खसरा संख्या 252 का विभाजन होने पर राजस्व रेकर्ड नक्शे में अंकन त्रुटिपूर्ण किया गया, मौके पर प्रार्थी व विप्रार्थीगण जिस स्थान पर काबिज है, नक्शे में तरमीम उससे भिन्न स्थान पर की गई है। जिसके कारण बट्टा नंबरो का राजस्व रेकर्ड नक्शे में अंकन व तरमीम वास्तविक कब्जे काश्त से भिन्न स्थान पर कर दी गई। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की मौके पर रहवासीय ढ़ाणीयां, पक्के मकान, पानी के टांके, चारा संग्रहित करने के टीनशेड आदि बने हुए है किंतु राजस्व रेकर्ड (नक्शे) में प्रत्येक खातेदार के

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विभाजन उपरांत की गई तरमीम उनके कब्जे अनुसार नहीं होने से आपस में मनमुटाव होने, विवाद होने की संभावना बनी हुई है, साथ ही राजस्व रेकर्ड (नक्शे) में त्रुटिपूर्ण अंकन होने के कारण प्रार्थीगण को भूमि के विभाजन व सुधार में समस्या उत्पन्न हो रही है। जिसके कारण प्रार्थीगण के ग्राम बुडीवाडा तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 252 के बट्टा नम्बर क्रमशः 890/252, 1204/252, 1205/252, 1206/252, 1207/252,1208/252, 1209/252 के राजस्व रेकर्ड नक्शे में किये गये गलत व त्रुटिपूर्ण अंकन को सुधार कर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' अनुसार वास्तविक कब्जे काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की और से इकबालीय जबाब पेष कर जाहिर किया कि मूल खसरा संख्या 252 के बट्टा नम्बर कमषः 890/252, 1204/252, 1205/252, 1206/252, 1207/252, 1208/252, 1209/252 के राजस्व रेकर्ड नक्षे में किये गये गलत व त्रुटिपूर्ण अंकन को सुधार कर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' अनुसार वास्तविक कब्जे काष्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाए तो हम विप्रार्थी संख्या 01 व 09 को कोई एतराज नहीं है।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण प्रार्थीगण की बहस सुनी गई व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जबाब व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन समूची पत्रावली व विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की [illegible] प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरहद मौजा बुडीवाडा तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 252 के बट्टा नम्बर क्रमशः 890/252, 1204/252, 1205/252, 1206/252, 1207/252, 1208/252, 1209/252 के राजस्व रेकर्ड नक्शे में किये गये गलत व त्रुटिपूर्ण अंकन को सुधार कर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित नक्शा [illegible] कब्जे काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित नक्शा आदेश के अभिन्न अंग होगा।

(नरेश सोनी)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:32:58 IST
Reason: SelfAttested